



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244446
CG-DL-E-17032023-244446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944

No. 1198]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1247(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH48 के कि.मी. 0 से कि.मी.15.6 (नंबर 3/4, लाल भगधादुर शास्त्री स्ट्रीट, पेरियाकुप्पम, तिरुवल्लुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. " को "दीना थांथी " और "22.12.2022" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH48 के कि.मी. 0 से कि.मी.15.6 (नंबर 3/4, लाल भगधादुर शास्त्री स्ट्रीट, पेरियाकुप्पम, तिरुवल्लुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कांचीपुरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: श्रीपेरुम्बुदुर				
	गांव का नाम: मन्नूर				
1	627/2	निजी(ड्राई)	निजी	0.0031	355. डेलफी टीवीएँस् डीजल इंजीन पीवीटी एलटीडी (627/2बी)
2	631	निजी(ड्राई)	निजी	0.0059	979. अनुराधा राघव (631/2)
3	637	निजी(ड्राई)	निजी	0.0032	355. डेलफी टीवीएँस् डीजल इंजीन पीवीटी एलटीडी (637/2)
	गांव का नाम: सेंगाडू				
4	191/1	सरकारी(पोरंबोके)	सरकारी	0.0012	गवर्नमेंट (191/1)
5	191/11	निजी(मनावारी)	निजी	0.0018	261. श्रीमति रेखा (1), पद्माशांति (2) (191/11बी)
6	191/13	निजी(मनावारी)	निजी	0.0058	261. श्रीमति रेखा (1), पद्माशांति (2) (191/13बी)
7	191/14B	निजी(मनावारी)	निजी	0.0066	261. श्रीमति रेखा (1), पद्माशांति (2) (191/14बी2)

8	192/2B	निजी(ड्राई)	निजी	0.0065	976. शान्तिलाल जैन (192/2बी2)
9	192/2C1	निजी(ड्राई)	निजी	0.0021	945. फैज़ल खान (192/2सी1बी)
10	192/4	निजी(ड्राई)	निजी	0.0021	945. फैज़ल खान (192/4बी)
11	194/2	निजी(ड्राई)	निजी	0.0501	774. ऐश्वर्य लक्ष्मी (194/2बी)
12	195/1	निजी(ड्राई)	निजी	0.0104	175. राधा (195/1बी)
13	195/2	निजी(ड्राई)	निजी	0.0252	175. राधा (195/2बी)
14	195/4A	निजी(ड्राई)	निजी	0.0226	175. राधा (195/4ए2)
15	195/4B	निजी(ड्राई)	निजी	0.0199	175. राधा (195/4बी2)
16	195/4C	निजी(ड्राई)	निजी	0.023	175. राधा (195/4सी2)
17	204/6	निजी(ड्राई)	निजी	0.0032	856. मोसुस जॉन्सन लिफ्ट पीवीटी. एलटीडी., (204/6बी)
18	214/2	निजी(ड्राई)	निजी	0.0015	253. मुनीकृष्ण नायडू (214/2बी)
			कुल	0.1942	

[फा. सं. 11038/1/2019/PIU.KANCHEE/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1247(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH48 on the stretch

of land from Km. 0 to Km. 15.6 (No.3/4, Lal Bhagdhadur Shastri Street, Periyakuppam, Tiruvallur) in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Times of India*” and “*Dina Thanthi*” both dated 22.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH48 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 15.6 (No.3/4, Lal Bhagdhadur Shastri Street, Periyakuppam, Tiruvallur) in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU District: KANCHEEPURAM					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sriperumbudur					
Village: Mannur					
1	627/2	Private(Dry)	Private	0.0031	355. Delphi TVS Deisel Engine Pvt Ltd 627/2B
2	631	Private(Dry)	Private	0.0059	979. Anuradha Raghava 631/2
3	637	Private(Dry)	Private	0.0032	355. Delphi TVS Deisel Engine Pvt Ltd 637/2
Village: Sengadu					
4	191/1	Government(Promboke)	Govt	0.0012	Government 191/1
5	191/11	Private(Manavaari)	Private	0.0018	261. Srimathi Rekha (1), Padmashanthi (2) 191/11B
6	191/13	Private(Manavaari)	Private	0.0058	261. Srimathi Rekha (1), Padmashanthi (2) 191/13B
7	191/14B	Private(Manavaari)	Private	0.0066	261. Srimathi Rekha (1), Padmashanthi (2) 191/14B2
8	192/2B	Private(Dry)	Private	0.0065	976. Shanthilal Jain 192/2B2
9	192/2C1	Private(Dry)	Private	0.0021	945. Faizhal Khan 192/2C1B
10	192/4	Private(Dry)	Private	0.0021	945. Faizhal Khan

					192/4B
11	194/2	Private(Dry)	Private	0.0501	774. Ishwarya Lakshmi 194/2B
12	195/1	Private(Dry)	Private	0.0104	175. Radha 195/1B
13	195/2	Private(Dry)	Private	0.0252	175. Radha 195/2B
14	195/4A	Private(Dry)	Private	0.0226	175. Radha 195/4A2
15	195/4B	Private(Dry)	Private	0.0199	175. Radha 195/4B2
16	195/4C	Private(Dry)	Private	0.023	175. Radha 195/4C2
17	204/6	Private(Dry)	Private	0.0032	856. Mosus Johnson Lifts Pvt. Ltd., 204/6B
18	214/2	Private(Dry)	Private	0.0015	253. Munikrishna Naidu 214/2B
			TOTAL	0.1942	

[F. No. 11038/1/2019/PIU.KANCHEE/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.